पत्रांक-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि)/ 894 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0
(बजट अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक // 25/1 2021

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,
वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियो के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना बाधित अवधि (दि0 15-06-2018 से वर्तमान) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-744 दिनांक 22-12-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आई0टी0 अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22-06-2020 के क्रम में कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् प्राप्त दावा प्रपत्रों पर इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-1327 दिनांक 30-01-2019 एवं परिपत्र संख्या-1589 दिनांक 14-03-2019 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए दावा प्रपत्र Offline माध्यम से मुख्यालय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि कृपया परिपत्र संख्या-744 दिनांक 22-12-2020 के क्रम में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित समस्त दावों, जो आपके कार्यालय में प्राप्त हो चुके है या भविष्य में प्राप्त होते है, का नियमानुसार परीक्षण करते हुए समिति की संस्तुति सहित प्रकरण यथाशीघ्र मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् बजट आवंटन किया जा सके। उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाए। वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, अत: विषय को शीघ्र वरीयता प्रदान करना अपेक्षित है।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
3- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम, कमिश्नर कैम्प, मुख्यालय को कमिश्नर, महोदया के अवलोकनार्थ।
4- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।